

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक- 2198-2203

दिनांक- 31/5/24

कार्यालय-आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के मौखिक निर्देशानुसार धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता/मृत्यु कालीन कथन लेखबद्ध करने के सन्दर्भ में इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व के सम्पूर्ण आदेशों को अतिलंघित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2)के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी किये जाते हैं।

अन्वेषण अधिकारी/थानाधिकारी द्वारा दिनांक 01.06.2024 से बयान अंतर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत/ मृत्यु कालीन कथन लेखबद्ध कराये जाने वांछित हो और उनके द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया जावे, तो उस थाने के निम्न न्यायालय के द्वारा निम्नानुसार धारा- **164 दण्ड प्रक्रिया संहिता/मृत्यु कालीन कथन** बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावेगा तथा उनके अनुपस्थित रहने की स्थिति में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4045-4064 दिनांक 20.11.2021 के द्वारा मुख्यालय एवं आदेश क्रमांक 4480-84 दिनांक 10.12.2021 एवं आदेश क्रमांक 2548 दिनांक 18.07.2022 तहसील मुख्यालय के द्वारा लिंक अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावेगा । इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 690-693 दिनांक 17.02.2024 के द्वारा जारी आदेश के द्वारा महिला पीठासीन अधिकारी नहीं होने पर, उस न्यायालय के लिंक महिला पीठासीन अधिकारी के द्वारा बयान लिये जावेंगे।

क्रम.सं.	थाने का नाम	न्यायालय का नाम
1	कोतवाली, अलवर	ACJ & JM -2,ALWAR
2	वैशाली नगर, अलवर	ACJ & JM -2,ALWAR
3	अरावली विहार, अलवर	Spl. N.I. Act- 2, ALWAR
4	एन ई बी, अलवर	Spl. N.I. Act- 2, ALWAR
5.	एम आई ए, अलवर	ACJ & JM-1, Alwar
6.	सदर, अलवर	ACJ & JM No. 4, Alwar
7.	विजय मंदिर, अलवर	CJ & JM No. 1, Alwar
8.	शिवाजीपार्क, अलवर	CJ & JM. No. 1, Alwar
9.	महिला थाना, अलवर	ACJ & JM No. 5, Alwar

क्र०सं०-1. लगायत 09 तक समस्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने पर J.M. Kishangarh Dist. Alwar धारा- 164 सी आर पी सी के तहत बयान /मृत्यु कालीन कथन लेखबद्ध किये जावेंगे।

[Handwritten Signature]
31/5/24

क्रम.सं.	थाने का नाम	न्यायालय का नाम
10	बहरोड	CJ & JM, Nimrana
11	मांडण	CJ & JM, Nimrana
12	बहरोड सदर	CJ & JM, Nimrana
13	नीमराणा	ACJM No. 2, Behror
14	शाहजहांपुर	ACJM No. 2, Behror

क्र०सं०-10 लगायत 14 तक समस्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने पर J.M. Bansur द्वारा धारा- 164 सी आर पी सी के तहत बयान/ मृत्यु कालीन कथन लेखबद्ध किये जावेंगे।

क्रम.सं.	थाने का नाम	न्यायालय का नाम
15	खैरथल	A.C.J.M-1., Kishangarbas
16	किशनगढबास	CJ & JM, Kishangarbas
17	कोटकासिम	A.C.J.M.-1, Kishangarbas
18	मुण्डावर	CJ & JM. Kishangarbas
19	ततारपुर	CJ & JM. Bansur

क्र०सं०-15 लगायत 19 तक समस्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने पर J.M. Tijara द्वारा धारा- 164 सी आर पी सी के तहत बयान/ मृत्यु कालीन कथन लेखबद्ध किये जावेंगे।

क्रम.सं.	थाने का नाम	न्यायालय का नाम
20	राजगढ	A.C.J.M-2., Rajgarh
21	टहला	A.C.J.M.-2 Rajgarh
22	रैणी	CJ & JM, Govindgarh
23	अकबरपुर	ACJ & JM No. 3, Alwar
24	मालाखेडा	ACJ & JM No. 3, Alwar

[Handwritten signature]
31/05/24

क्र०सं०-20 लगायत 24 से संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने पर A.M.J.M. No. 4, Alwar द्वारा धारा- 164 सी आर पी सी के तहत बयान/ मृत्यु कालीन कथन लेखबद्ध किये जावेंगे।

क्रम.सं.	थाने का नाम	न्यायालय का नाम
25	थानागाजी	CJ & JM, Thanagazi
26	नारायणपुर	A.C.J.M. Thanagazi
27	प्रतापगढ	A.C.J.M. Thanagazi

क्र०सं०-25 लगायत 27 तक समस्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने पर A.M.J.M. No. 2, Alwar द्वारा धारा- 164 सी आर पी सी के तहत बयान/ मृत्यु कालीन कथन लेखबद्ध किये जावेंगे।

क्रम.सं.	थाने का नाम	न्यायालय का नाम
28	तिजारा	CJ & JM, Tijara
29	शेखपुर	CJ & JM, Tijara
30	टपूकडा	ACJM-2, Tijara
31	खुशखेडा	ACJM-2, Tijara
32	भिवाडी	ACJM, Bhiwadi
33	महिला थाना	ACJM, Bhiwadi
34	चौपानकी	CJ & JM, Bhiwadi
35	भिवाडी फेज-3	CJ & JM, Bhiwadi

क्र०सं०-28 लगायत 35 तक समस्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने पर J.M. Kishangarhbas द्वारा धारा- 164 सी आर पी सी के तहत बयान / मृत्यु कालीन कथन लेखबद्ध किये जावेंगे।

क्रम.सं.	थाने का नाम	न्यायालय का नाम
36	रामगढ	ACJ & JM No. 4, Alwar
37	नौगांवा	ACJ & JM No. 1, Alwar
38	बगड तिराया	CJ & JM, Laxmangarh

Kishangarh
31/05/24

39	लक्ष्मणगढ	CJ & JM, Laxmangarh
40	गोविन्दगढ	ACJM, Laxmangarh
41	बडौदामेव	ACJM, Laxmangarh
42	कठूमर	CJ & JM, Govindgarh
43	खेरली	CJ & JM, Kathumar
44	बहतुकला	CJ & JM, Kathumar

क्र०सं० 36 लगायत 44 तक समस्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने पर A.M.J.M. No. 5, Alwar द्वारा धारा- 164 सी आर पी सी के तहत बयान / मृत्यु कालीन कथन लेखबद्ध किये जावेंगे।

क्रम.सं.	थाने का नाम	न्यायालय का नाम
45	बानसूर	CJ & JM, Bansur
46	बास दयाल	CJ & JM, Thanagazi
47	हरसौरा	CJ & JM, Thanagazi

क्र०सं० 45 लगायत 47 से संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने पर A.C.J.M. No. 2, Behror द्वारा धारा- 164 सी आर पी सी के तहत बयान / मृत्यु कालीन कथन लेखबद्ध किये जावेंगे।

नोट-

- 1- किसी प्रकरण में माल अथवा मुलजिम की शिनाख्तगी की कार्यवाही हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता के नए संशोधित प्रावधानानुसार अंतर्गत धारा-54 क द.प्र.सं. के अनुसार की जावेगी। इस प्रकार के प्रार्थना पत्र संबंधित थाने के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में ही पेश किये जायेंगे और पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रार्थना पत्र विचार करते हुए शिनाख्तगी की कार्यवाही उपलब्ध कार्यपालक मजिस्ट्रेट से कराने के आदेश दिए जायेंगे।
- 2- माननीय उच्चतम न्यायालय के एस एल पी (क्रिमिनल) नम्बर 5073/2011 स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम शिवान्ना में पारित आदेश के निर्देशानुसार एवं प्रक्रिया की सुगमता के तहत धारा- 164 द.प्र.सं. में लेखबद्ध कथन अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर, ऐसे कथनों की प्रति अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र पेश करने पर कि वह उक्त बयान में दर्ज कथन को किसी पर जाहिर नहीं करेगे, तुरन्त अनुसंधान अधिकारी को लेखबद्ध बयान की प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध करायेंगे।
- 3- यदि विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त व्यवस्थानुसार कार्य करना सम्भव न हो तो इसके सम्बंध में पृथक से प्रार्थना पत्र अधो-हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 4- इस आदेश से पूर्व थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण पूर्व आदेश के अनुसार ही निस्तारित किये जायेंगे।
- 5- उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

Vijay
21/05/20

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

अलवर

क्रमांक:- 2203

दिनांक :- 31/5/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्न को सादर प्रेषित है -

- 1- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर।
- 2- समस्त एसीजेएम/एम जे एम/एएमजेएम/एन.आई.एक्ट./ग्राम न्यायालय मुख्यालय/तहसील मुख्यालय स्तर के न्यायालय।
- 3- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, अलवर/भिवाडी/खैरथल/बहरोड-कोटपूतली को आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ समस्त थानाधिकारी को सूचित करें।
- 4- कार्यालय प्रति/कम्प्यूटर शाखा अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड करें)
- 5- अध्यक्ष, बार एसोसियेशन. अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

अलवर